न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मा नम्बर 78 / 2023 दायर दिनांक–21.06.2023

1– जुगल किशोर पुत्र गैंडाराम जाति डाकोत निवासी चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

......वादी

बनाम

1– लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

......प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री सुरेन्द्र सिंह बेरवाल
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ
व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–04.04.2025

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम चिराना पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1099 / 94 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 स्थित है जो वादी की पैत्रिक संपति है।

ग्राम चिराना में गोनाराम उर्फ गैंडाराम नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। गोनाराम उर्फ गैंडाराम व उसकी धर्मपत्नी जगदेवी का स्वर्गवास हो गया है। गोनाराम उर्फ गैंडाराम के दो पुत्र संतान वादी एवं नत्थूराम पैदा हुए। गोनाराम उर्फ गैंडाराम का एक पुत्र नत्थूराम जो विवाहित नाऔलाद था उसका व उसकी धर्मपत्नी संतरा देवी का भी स्वर्गवास हो गया। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड संतरा देवी के नाम से चला आ रहा है। संतरा देवी वादी के भाई नत्थूराम की धर्मपत्नी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार संतरा देवी की संपति वादी को मिलती है इस प्रकार वादी ने यह घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में खातेदार संतरा देवी पत्नी नत्थूराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वह वादीके नाम से जमाबंदी व नक्शा ट्रैस कायम करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में [illegible] गई।

प्रकरण में वादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर [illegible] म की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु नरेश कुमार पुत्र जुगलकिशोर, जुगलकिशो[illegible] गैंडा[illegible] छितरमल पुत्र बजरंगलाल के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में [illegible] जात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौरान बहस में वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध [illegible] जात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली व तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड संतरा देवी पत्नि नत्थूराम के नाम से दर्ज चला आ रहा है। संतरा देवी फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान वादी तथा श्रवणी देवी पुत्री गोनाराम उर्फ गैंडाराम है। फलस्वरूप उक्त भूमि का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:30:46 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार वादी तथा श्रवणी देवी पुत्री गोनाराम उर्फ गैंडाराम को घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम चिराना पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1099/94 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 भूमि का वादी/ जुगल किशोर पुत्र गैंडाराम तथा श्रवणी देवी पुत्री गैंडाराम प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज संतोष देवी पत्नी नत्थूराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदार अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:30:46 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:–78/2023 **(जुगल किशोर बनाम तहसीलदार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 04.04.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम चिराना पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1099/94 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 भूमि का वादी/ जुगल किशोर पुत्र गैंडाराम तथा श्रवणी देवी पुत्री गैंडाराम प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज संतोष देवी पत्नी नत्थूराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदार अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.04.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:30:46 IST
Reason: SelfAttested